राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

क्रमांक एफ.15 () पंराविं/विधि/न. पा. गठन/ बांसवाडा/ 2018 /1415 जयपुर,दिनांक:- 20/08/19

::अधिसूचना::

स्वायत्त शासन विभाग ने अधिसूचना क्रमांक एफ.10 (क) (ग्राम पंचायत) (न.पा.गठन) () श्रेणी/ डीएलबी/ 18/ 1846/ दिनांक 30.05.2018 के द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2009) की धारा 3 की उप धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप धारा (8) के खण्ड (ग) तथा सहपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत परतापुर, गढी, बेडवा, ग्राम पंचायत भगोरा का आंशिक भाग (रिको क्षेत्र) तथा ग्राम पंचायत खेरनकापारडा के गांव नवापादर व मोरडी के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को एतद्द्वारा नगरपालिका "परतापुर-गढी" (चतुर्थ श्रेणी) के रूप में घोषित किया जा चुका है ।

अत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत परतापुर के सम्पूर्ण क्षेत्र को, ग्राम पंचायत गढी के सम्पूर्ण क्षेत्र को, ग्राम पंचायत भगोरा में से आंशिक भाग (रिको क्षेत्र) के सम्पूर्ण क्षेत्र को एवं ग्राम पंचायत खेरनकापारडा के राजस्व ग्राम नवापादर व मोरडी के सम्पूर्ण क्षेत्र को पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्राधिकार से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,

19/8

(आशुतोष ए.टी.पेडणेकर)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1.शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।

2.विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।

3.निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

4.निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

5.सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर ।

6.शासन उप सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

7.वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

8.सम्भागीय आयुक्त, उदयपुर ।

9.जिला कलेक्टर, बांसवाडा ।

10.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बांसवाडा ।

11.विकास अधिकारी, पंचायत समिति, गढी, जिला-बांसवाडा ।

12.रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त शासन सचिव(विधि)